झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या– परि०आ०(कर माफी)–120/2020 1067 /राँची, दिनांक– 31.07.2024

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–15 की उपधारा–(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी (Tax Defaulter) झारखण्ड राज्य में निबंधित सभी प्रकार के वाहनों के वाहन स्वामियों को One time settlement के रूप में अर्थदण्ड माफ करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है :–

(i) सभी प्रकार के निबंधित वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि तक कर–प्रमादी (Tax Defaulter) है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 180 दिन के भीतर की अवधि में, बकाया पथकर के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की माफी करने एवं उक्त वाहन को विनियमित किया जाएगा।

(ii) नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी उपरोक्त अर्थदण्ड माफी का लाभ देने एवं उक्त वाहन के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वाद विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(iii) वैसे वाहन स्वामी, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेंगे, उन्हें झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 एवं झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार वर्त्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

2. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–19.06.2024 को मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(कृपा नन्द झा)
सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०(कर माफी)–120/2020 1067 /राँची, दिनांक– 31.07.2024

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई–गजट नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग।

D:\New Niyamawali\Sankalp\Penalty Exemption Sankalp.docx

ज्ञापांक– परि०आ०(कर माफी)–120/2020 1067 /राँची, दिनांक– 31·07·2024

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/झारखण्ड राज्य के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०(कर माफी)–120/2020 1067 /राँची, दिनांक– 31·07·2024

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त/उप सचिव, परिवहन विभाग/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सभी यातायात पुलिस अधीक्षक (यातायात प्रभारी), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०(कर माफी)–120/2020 1067 /राँची, दिनांक– 31·07·2024

प्रतिलिपि–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, झारखण्ड, राँची/श्री अमर कुमार सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०/पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पी०एम०यू० कोषांग को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सचिव
परिवहन विभाग।

D:\New Niyamawali\Sankalp\Penalty Exemption Sankalp.docx